संख्या-100/2020/1741/26-3-2020

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 जुलाई 2020

विषय:- **जाति सत्यापन हेतु की गयी व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर अभियोजन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों को निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु शासन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के विपरीत एकल अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करते हुए अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत जाति, उप-जाति (मूलवंश), जनजाति, जनजातीय समुदाय, या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किये जाने की व्यवस्था है।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या-1994(6) एस0सी0सी0-241, कु0 माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल में दिनांक 02.09.1994 को पारित आदेश में जाति, उप-जाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय, या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग (Castes, Sub-castes, tribe, tribal community, part or groups of tribes or tribal communities) के आधार पर अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके मूल निवास (The Place from which he originally hails) से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के आदेश दिये गये है।

इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-2884(एम.बी.)/1995 डा0 आनन्द प्रताप सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 27.10.1995 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु नीति निर्धारित करते हुए प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी.सी.-।।। दिनांक 05.01.1996 द्वारा राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1611(एम.बी.) /2008 तारामुनि थारू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 23.09.2010 को पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-428/26-3-2011 दिनांक 27.01.2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जांच हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर अपीलीय फोरम का गठन किया गया है, तथा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ में योजित पी.आई.एल. संख्या-1396/2011 थारू शक्ति समिति, महराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 12.01.2011 को पारित आदेश के अनुपालन मे शासनादेश संख्या-685/26-3-2011 दिनांक 28.02.2011 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर जिला जाति सत्यापन समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति को समयबद्ध तरीके से मामले को निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

साथ ही इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-33529/2017 प्रतिभा सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 01.08.2017 को पारित आदेश में जिलाधिकारी (एकल अधिकारी) को भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं माना है। उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-292सीएम/26-3-2017 दिनांक 08.11.2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को निर्देश दिये जा चुके है। इस प्रकार एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए अभ्यर्थी या उसके माता-पिता/अभिभावक के विरूद्ध की जा रही अभियोजन की कार्यवाही शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के विरूद्ध तथा विधिसंगत नही है। अभ्यर्थी की जाति, उप-जाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग के आधार पर मूल निवास के स्थान से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल उपरान्त जाति प्रमाण पत्र फर्जी अथवा झूठा पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति के अन्तिम आदेश/निर्णयानुसार ही की जायें।

3- इस प्रकार किसी भी अभ्यर्थी की जाति अथवा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय जाति सत्यापन समिति, मण्डल स्तर पर मण्डलीय सत्यापन समिति तथा जनपद स्तर पर जिला स्क्रूटनी कमेटी को है, न कि किसी एकल अधिकारी अथवा जाति प्रमाण पत्र निर्गत अधिकारी को है। उपर्युक्त व्यवस्था के विपरीत किसी एकल अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करना अथवा जाति सत्यापन समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी की जाति सत्यापन करने के उपरान्त किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जानबूझ कर उल्लंघन करना अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करना अथवा जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के उपरान्त एन.आई.सी. के वेबसाइट (www.edistrict.up.nic.in) पर अपलोड न करना उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-5(1) का दोषी समझा जायेगा।

4- अतएव उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जारी उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप ही जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन/निरस्त किया जायें तथा फर्जी पाये जाने पर तदनुसार अभियोजन की कार्यवाही की जायें।

भवदीय,

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-100/2020/1741 (1)/26-3-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/पिछड़ा वर्ग कल्याण/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in